न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितिः– उमेश मणि त्रिपाठी
B.P. No.-437/2026
विक्की कुमार बनाम बिहार सरकार
[पचरूखी, सराय थाना कांड सं0 172/2025]

आदेश

06.05.2026 आवेदक/अभियुक्त **विक्की कुमार पे0 छठू साह** जो इस मामले में दिनांक **29.10.2025** से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन सं0 437/2026, पचरूखी, सराय थाना कांड सं0 172/2025, अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 324(3), 303(2), 74, 352, 351(2)/3(5) भारतीय न्याय संहिता पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री ब्रजमोहन प्रसाद रस्तोगी एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि दिनांक 13.04.2025 को संध्या 03:30 बजे के आसपास सूचक अपने दरवाजे पर थे। तभी देखे कि प्रतिदिन की भांति दरवाजे के सामने छठु साह, ओमप्रकाश सिंह, अशोक सिंह सभी लोग प्रतिदिन की भांति ट्रक लगाकर शराब के नशे में धुत होकर शराब पिलाकर विक्की कुमार, रूपेश कुमार, दिपु कुमार, छोटु कुमार, बाबू कुमार, अमर कुमार सिंह, अभिषेक कुमार सिंह एवं राजेश सिंह सभी बुरी नियत से हरवे हथियार से लैश हेकर एक राय व गलत मजमा बनाकर भद्दी–भद्दी गाली–गलौज करते हुए अश्लील हरकत कर एक साथ घर में घुस गए। मना करने पर विक्की कुमार अपने हाथ में लिए चाकू से हरकत करने पर मना करने पर बुचुन साह के सर पर जान मारने की नियत से दो चाकू सर पर मार दिए जिससे सर बुरी तरह कट गया। इसी दौरान दिपु कुमार अपने हाथ में लिए टांगी से बुचुन साह के सर पर मारे जिससे जख्मी सिर और जख्मी हो गया और बेहोश होकर वे गिर गए। विक्की और दिपु रमेश साह की बेटी नेहा कुमारी के तन से कपड़ा को फाड़ दिए तथा जमीन पर पटक दिए तथा अश्लील हरकते किए जिससे लोक–लज्जा भंग हुआ। इसी बीच झगड़ा छुड़ाने आई सुगांती देवी को साड़ी खिंचकर दिपु कुमार जमीन पर पटक दिए तथा बेपर्दा कर दिए और अपने हाथ में लिए चाकू से जान मारने की नियत से सुगांती देवी को गर्दन पर चलाया जिससे सर तथा चेहरा कट गया व जख्मी हो गया। इसी बीच बाबू कुमार यह कहते हुए की मारो सालों को हम थाने का ड्राईवर हैं। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अपने हाथ में लिए रड़ से रमेश साह को जान मारने की नियत से प्रहार किया जिससे सर कट गया और खून बहने लगा और वे गिर गए। इसी बीच झगड़ा छुड़ाने, इज्जत आबरू बचाने आए मनीष कुमार को अशोक सिंह ने रड़ से मारने की नियत से सर पर मारा जिससे सर फट गया और खून बहने लगा और वे बेहोश होकर गिर गए। तभी राजेश सिंह देशी कट्टा व गड़ासी लेकर आए और अभिषेक कुमार सिंह को दे दिए तथा अभिषेक कुमार सिंह कट्टा दिखाने लगे और राजेश सिंह एवं अभिषेक कुमार सिंह घर में घुसकर रड़ से मारपीट करते हुए रूपेश कुमार साह को जान मारने की नियत

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितिः– उमेश मणि त्रिपाठी
B.P. No.-437/2026
विक्की कुमार बनाम बिहार सरकार
[पचरूखी, सराय थाना कांड सं0 172/2025]

06.05.2026

लगातार से रमेश साह को मारने लगे तथा ओमप्रकाश सिंह एवं अमर कुमार सिंह बक्शा तोड़कर सोने का आभूषण नथिया वो मंगटीका ओमप्रकाश सिंह कीमत 40000/– रूपया का निकाल लिए तथा अमर कुमार सिंह और रूपेश कुमार साह ने बक्शे में रखा 20000/– रूपया नगद रूपेश निकाल लिए और अमर कुमार सिंह को दे दिए। इस प्रकार सभी आदमी घर में घुसकर उपद्रव एवं आतंक मचाते रहे तथा जान मारने की धमकी देते रहे। इसी अप्रिय वारदात के कारण बुचुन साह सदर अस्पताल सिवान ईलाज के बाद मनीष वो बुचुन गोरखपुर अस्पताल में सदर अस्पताल द्वारा रेफर करने के दौरान ईलाजरत है जो जिंदगी वो मौत से जुझ रहे है और सभी जख्मी सदर अस्पताल में ईलाजरत हैं।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और उसे गलत तरीके से इस मुकदमें में फंसाया गया है। आवेदक की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 1174/2025 दाखिल किया गया था जिसे जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम्, सिवान के द्वारा खारिज कर दिया गया। आवेदक का अतीत साफ है और उसके खिलाफ इस मामला के अलावा अन्य कोई मामला पंजीकृ त नहीं है। आवेदक दिनांक 29.10.2025 को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया और तब से वह न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक के पास से कोई भी हथियार बरामद नहीं किया गया है। आवेदक मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी पचरूखी, सराय थाना कांड सं0 172/2025, अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 118(1), 109, 324(3), 303(2), 74, 352, 351(2)/3(5) भारतीय न्याय संहिता में पंजीकृत कराई गई है तथा आदेश दिनांक 24.06.2025 के द्वारा प्रस्तुत मामले में धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता को जोड़ा गया है। आवेदक के विरूद्ध बुचुन साह के सिर पर चाकू से जख्म कारित करने, जिसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई, का आरोप लगाया गया है। आवेदक के ऊपर ही घटना कारित करने विशिष्ट आरोप लगाया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका संख्या 04 में वादी का पुनः बयान अंकित है जिसमें उन्होंने प्राथमिकी एवं घटना का पूर्ण

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितिः– उमेश मणि त्रिपाठी
B.P. No.-437/2026
विक्की कुमार बनाम बिहार सरकार
[पचरूखी, सराय थाना कांड सं0 172/2025]

06.05.2026

लगातार

समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका संख्या 06, 07, 37, 38 एवं 69 में साक्षियों का बयान अंकित है जिसमें उन्होंने भी प्राथमिकी एवं घटना का पूर्ण समर्थन किया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 77 में पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से संबंधित है जिसमें मृत्यु का कारण सर में हुए जख्म को बताया गया है। आवेदक प्राथमिकी के नामित अभियुक्त है और आवेदक के घटना में सम्मिलित होने के संबंध में अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। आवेदक द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। आवेदक द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त **विक्की कुमार** की तरफ से प्रस्तुत जमानत आवेदन दिनांक 15.04.2026 को उपरोक्त के आलोक में **खारिज** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 06.05.2026

Date of Order/Judgment	06.05.2026
Date of Reserving Order/Judgment	06.05.2026
Uploading Date	08.05.2026
Uploaded By	RAVI KANT